झारखण्ड सरकार
मंत्रिमंडल (निर्वाचन) विभाग
एच.ई.सी., सेक्टर–2, धुर्वा, राँची

निविदा सूचना (संशोधित)

मंत्रिमंडल (निर्वाचन) विभाग, झारखण्ड, राँची द्वारा निर्वाचन संबंधी सामग्रियों/अन्य सामग्रियों के आपूर्ति/मुद्रण दर निर्धारण के साथ मुद्रण एजेंसी के चयन हेतु झारखण्ड राज्य स्थित एस.एस.आई. निबंधित, मान्यता प्राप्त अनुभवी एवं प्रतिष्ठित मुद्रकों से दिनांक–10/05/2018 के अप0 03.00 बजे तक मुहरबन्द निविदा आमंत्रित करने हेतु विज्ञापन संख्या–182347Election(18-19)D समाचार पत्रों में एवं विभागीय वेबसाई www.jharkhand.gov.in/ceo पर प्रकाशित की गई है। उक्त निविदा में निम्नवत् आंशिक संशोधन किया जाता है:–

1. निविदा समर्पित करने की अंतिम तिथि को दिनांक– 10/05/2018 के अप0 03.00 बजे तक को पुनर्निर्धारित करते हुए दिनांक–14/05/2018 के अप0 03.00 बजे तक किया जाता है। प्राप्त सभी निविदाओं को दिनांक–14/05/2018 के अप0 04.00 बजे मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी–सह–प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल (निर्वाचन) विभाग के कार्यालय कक्ष में क्रय समिति तथा उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोला जाएगा।

2. आपूर्ति किये जाने वाले सामग्रियों की सूची में क्रम संख्या–8 पर निम्नलिखित को भी सम्मिलित किया जाता है:–

"Supply of Transparent Plastic Box for storage of VVPAT Paper Slip (as per sample available in office, which can be seen during working hours)"

3. उक्त निविदा हेतु दिनांक–03/05/2018 को मध्या0 12.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में प्रि–बीड बैठक आयोजित किया गया है, जिसमें इच्छुक एजेंसी या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि भाग ले सकते हैं।

निविदा की शेष सभी शर्तें यथावत रहेंगी।

12/4/18

(एल0 खियांग्ते)
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी–सह–प्रधान सचिव

झारखण्ड सरकार
मंत्रिमंडल (निर्वाचन) विभाग
एच.ई.सी., सेक्टर–2, धुर्वा, राँची

निविदा सूचना

मंत्रिमंडल (निर्वाचन) विभाग, झारखण्ड, राँची द्वारा अधोलिखित निर्वाचन संबंधी सामग्रियों/अन्य सामग्रियों के आपूर्ति/मुद्रण दर निर्धारण के साथ मुद्रण एजेंसी के चयन हेतु झारखण्ड राज्य स्थित एस.एस. आई. निबंधित, मान्यता प्राप्त अनुभवी एवं प्रतिष्ठित मुद्रकों से दिनांक–10/05/2018 के अप0 03.00 बजे तक मुहरबन्द निविदा आमंत्रित की जाती है। प्राप्त सभी निविदाओं को उसी दिन अप0 04.00 बजे मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी–सह–प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल (निर्वाचन) विभाग के कार्यालय कक्ष में क्रय समिति तथा उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोला जायेगा।

2. निविदा से संबंधित सभी शर्तें, सामग्रियों की सूची एवं पूर्ण दस्तावेज विभागीय वेबसाइट www.jharkhand.gov.in/ceo पर (Tender Menu पर) उपलब्ध है।

9/5/18

(एल0 खियांग्ते)
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी–सह–प्रधान सचिव

झारखण्ड सरकार
मंत्रिमंडल (निर्वाचन) विभाग
एच.ई.सी., सेक्टर–2, धुर्वा, राँची

निविदा की शर्तें

1. निविदा के साथ निविदादाता को रू0 5000/– (पाँच हजार रूपये) मात्र का अप्रत्यर्पणीय बैंक ड्राफ्ट निविदा शुल्क के रूप में तथा रू0 200000/– (दो लाख रूपये) मात्र का बैंक ड्राफ्ट अग्रधन के रूप में जो मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, झारखण्ड के पदनाम से तथा राँची में भुगतेय हो, अनिवार्य रूप से जमा करना होगा।

2. निविदा दो लिफाफों में (तकनीकी बीड एवं वित्तीय बीड के रूप में) समर्पित की जाएगी तथा लिफाफे के उपर दर निर्धारण हेतु निविदा (तकनीकी बीड/वित्तीय बीड) अवश्य अंकित किया जाएगा। तकनीकी बीड में निविदा की शर्तों से संबंधित कागजात, अनुभव संबंधी प्रमाण, मुद्रण में व्यवहारार्थ कागज का नमूना, मुद्रित सैंपल तथा वित्तीय बीड में सामग्री का नाम एवं दर होगा। निविदित दर सभी कर रहित होने चाहिए।

3. वोटिंग कम्पार्टमेन्ट के लिए निविदादाता अपनी निविदा के साथ निर्धारित विशिष्टियों के अनुरूप एक से अधिक नमूने संलग्न कर सकते हैं। प्रत्येक नमूने पर निविदादाता का नाम एवं नमूना संख्या अंकित होना चाहिए। नमूनों पर ही उसकी मोटाई स्पष्ट रूप से अंकित होनी चाहिए। सभी नमूनों की दर (सभी कर रहित होगा) वित्तीय बिड में दी जानी चाहिए। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी /अथवा क्रय समिति को पूर्ण अधिकार होगा कि वे किसी भी प्रकार के नमूने को आवश्यकता अनुसार चयन करके शेष नमूनों को Reject कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आपूर्ति किये जाने वाले स्पेशल टैग का नमूना भी निविदा के साथ संलग्न करना होगा।

4. निविदादाता को निविदा के साथ पंजीकरण प्रमाणपत्र, GST पंजीकरण प्रमाणपत्र, अद्यतन आयकर का स्वच्छता (Clearance) प्रमाण पत्र (सत्यापित) समर्पित करना अनिवार्य होगा।

5. निविदादाता की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होनी चाहिए तथा पिछले तीन वर्षों का वार्षिक टर्नओवर औसतन 4.00 (चार) करोड़ रू0 होना चाहिए।

6. निविदादाता के पास निम्न सुविधाएं होनी चाहिएः– (क) खुद का डिजाइनिंग सेट–अप (डिजीटल ऑफसेट सहित), (ख) बहुरंगी मुद्रण हेतु वांछित सारी निजी संरचनाएँ यथा–डबल डिमाई सी.टी.पी. (Computer to plate), डबल डिमाई ऑफसेट मशीन, वायरो बाइंडिंग मशीन, ऑटोमेटिक स्टीचिंग मशीन, सिलाई मशीन, ग्लू बाइंडिंग इत्यादि, (ग) Qualified विज्युलाइजर। इनका स्पष्ट प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

7. निविदादाता के पास अल्प समय में निर्वाचन संबंधी उत्कृष्ट कोटि का मुद्रण कार्य करने का कम से कम दो वर्षों का अनुभव होना चाहिए। इस संबंध में सुस्पष्ट एवं सत्यापित प्रमाण निविदादाता को प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

8. क्रय समिति द्वारा अनुमोदित दर के अनुरूप अल्प सूचना पर स–समय मुद्रण कार्यों का निष्पादन निविदादाता को करना होगा। अनुमोदित विशिष्टियों/गुणवत्ता के अनुरूप आपूर्ति स–समय नहीं करने पर निविदादाता के अग्रधन की राशि जब्त करते हुए उनके विरूद्ध Blacklisting की कार्रवाई की जायेगी।

9. मुद्रित सारी सामग्रियों/आपूर्ति की जाने वाली सभी सामग्रियों को सभी जिला निर्वाचन कार्यालयों में उपलब्ध कराने की जवाबदेही मुद्रक की होगी तथा इस हेतु उन्हें अलग से कोई शुल्क देय नहीं होगा।

10. निविदादाता को इस आशय का शपथ–पत्र देना अनिवार्य होगा कि वांछित सारी संरचनाएँ उनकी निजी हैं तथा उनका फर्म कभी भी केन्द्र अथवा राज्य सरकार में काली सूची में दर्ज नहीं हुआ है। किसी भी प्रकार का Cartel or Consortium मान्य नहीं होगा।

11. निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत करने अथवा पूर्ण रूप से रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा।

मुद्रण सामग्रियों की सूची

1. **पुस्तक–पुस्तिका ए–4 साईज, क्राउन साईज तथा 1/8 डिमाई साइज में**
कवर – 250, 300 जी.एस.एम. आर्ट बोर्ड पर लैमिनेशन सहित/रहित, श्वेत/श्याम, बाई कलर तथा बहुरंगी।
अन्दर के पृष्ठ : श्वेत/श्याम, बाई कलर, बहुरंगी। 70 तथा 80 जी.एस.एम. मैपलिथो पेपर एवं 90, 100, 130 जी.एस.एम. आर्ट पेपर पर मुद्रण हेतु 100 प्रतियों के लिए, 500 प्रतियों के लिए, 1000 प्रतियों के लिए तथा अतिरिक्त प्रति 1000 प्रतियों के लिए अपना दर अलग–अलग दें।

2. **विभिन्न प्रकार के फॉर्म/प्रपत्र/लीफलेट** : साईज– (क) ए–4, (ख) 1/5 (ग) 1/8 डिमाई श्वेत/श्याम। 60, 70, 80, 100 जी.एस.एम. मैपलिथो, 100, 130, 150 तथा 170 जी.एस.एम. आर्ट पेपर पर प्रति लीफ (एक तरफ/दोनों तरफ मुद्रण हेतु) 300 प्रतियों के लिए, 500 प्रतियों के लिए 1000 प्रतियों के लिए तथा अतिरिक्त प्रति 1000 प्रतियों के लिए अपना दर अलग–अलग दें।

3. **पोस्टर** : साईज– (क) 18x23", (ख) 20x30", (ग) 23x36"
श्वेत/श्याम, बाई कलर तथा बहुरंगी। 70, 80, 100 जी.एस.एम. मैपलिथो, 100, 130, 170 जी.एस.एम. आर्ट पेपर पर पोस्टर 300 प्रतियों के लिए, 500 प्रतियों के लिए, 1000 प्रतियों के लिए तथा अतिरिक्त प्रति 1000 प्रतियों के लिए अपना दर अलग–अलग दें। 220, 250, 300 जी.एस.एम. आर्ट बोर्ड पर (लैमिनेशन सहित/रहित, बोथ साईड चारों तरफ टेप लगाकर) 300 प्रतियों के लिए, 500 प्रतियों के लिए, 1000 प्रतियों के लिए तथा अतिरिक्त प्रति 1000 प्रतियों के लिए अपना दर अलग–अलग दें।

4. **विभिन्न प्रकार के लिफाफे** : साईज– (क) ए–4, (ख) 1/8 डिमाई, (ग) 7x5", (घ) 9x4", (ङ) 10x4.5" (च) 11x5" (छ) 12x6" (ज) 14x6" (झ) 9x7" (ञ) 10x8" (ट) 12x10" (ठ) 14x10" (ड) 16x12" (लैमिनेशन सहित/रहित)
80, 100 जी.एस.एम. मैपलिथो पेपर पर श्वेत/श्याम मुद्रण हेतु 1000 प्रतियों के लिए तथा अतिरिक्त प्रति 1000 प्रतियों के लिए अपना दर अलग–अलग दें।

5. **फ्लैक्स प्रिंटिंग** – प्रति स्क्वायर फीट की दर से फिटिंग सहित दर दिया जाय।

6. **वोटिंग कम्पार्टमेन्ट** :

Specification of Voting Compartment

1.	The Voting Compartment shall be in three folds, each fold having dimension of (i) 24"X24"X30" (Length X Width X Height). (For One BU) (ii) 24"X36"X30" (Length X Width X Height). (For Two BU) (iii) 24"X48"X30" (Length X Width X Height). (For Three BU) (iv) 24"X60"X30" (Length X Width X Height). (For Four BU)
2.	The voting compartments shall be made only of corrugated plastic sheet (flex-board) of steel grey colour, which is opaque and reusable.
3.	All the three sides of the voting compartments shall be printed as mentioned at Annexure-1.

7. **स्पेशल टैग** :

Specification of Special Tag

1.	Size of Special Tag : 7.5 cms x 5.5 cms
2.	Each special tag must have a specific serial number printed upon it.
3.	Thickness of Special Tag: Post-card thickness
4.	There shall be a hole with a metal ring to pass thread for sealing on the right corner of front side. Further, on the right hand side, a groove will be cut in the tag to fit with the door knob of Result compartment.
5.	There shall be an opening in the middle so that when this Tag is fixed in the "CLOSE" button compartment of the Result Section, the "CLOSE" button should be visible so that button can be reached to operate it without disturbing the Tag.

(नोट :– निविदित दर सभी कर रहित होगा ।
2. निविदादाता वोटिंग कम्पार्टमेन्ट का नमूना विभाग में किसी भी कार्यदिवस में देख सकते हैं।)

Annexure-1

Voting Compartment – Dimensions & Cascading of Balloting Units

ON ONE SIDE - FACING THE WEB CAMERA

Name of State/UT: **JHARKHAND / झारखण्ड**

AC/PC Name:

AC/PC Number:

Date of Poll:

Polling Station Name:

Polling Station Number:

ON REMAINING TWO SIDES OF THE VOTING COMPARTMENT

भारत निर्वाचन आयोग

मतदान कम्पार्टमेंट

ELECTION COMMISSION OF INDIA

VOTING COMPARTMENT

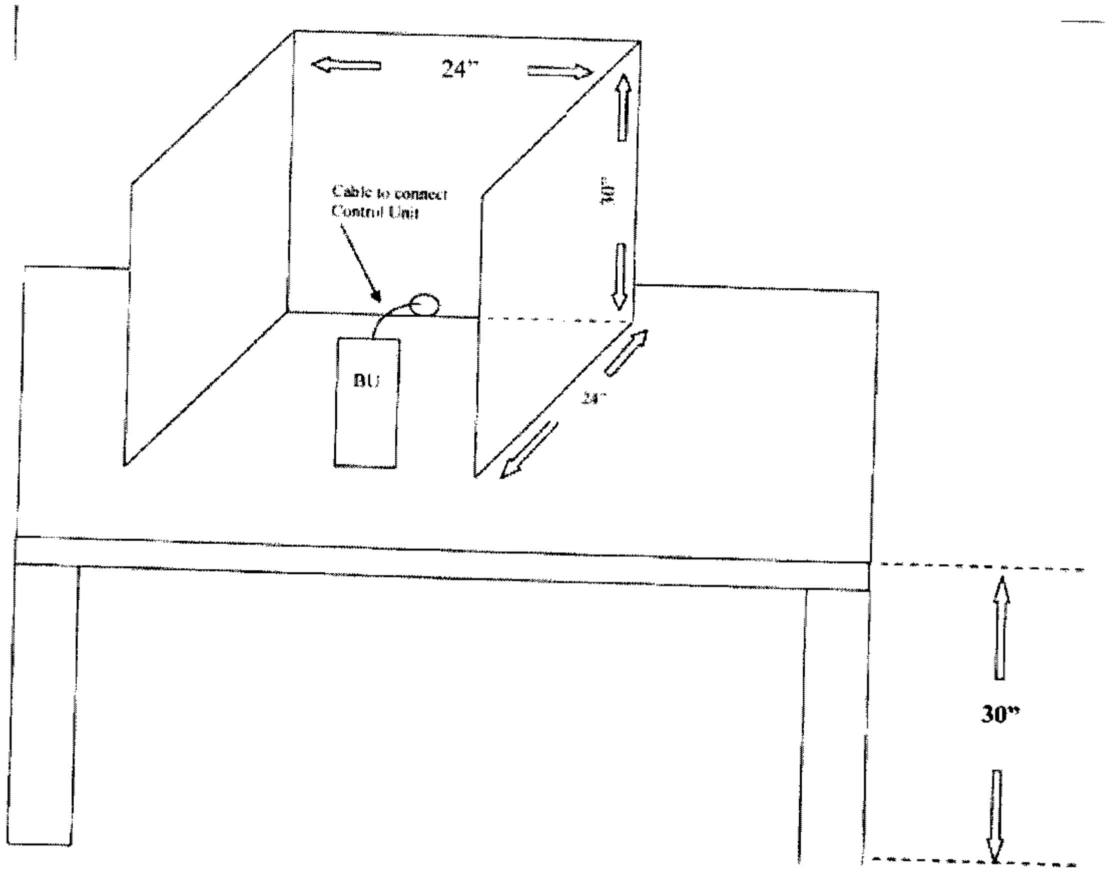

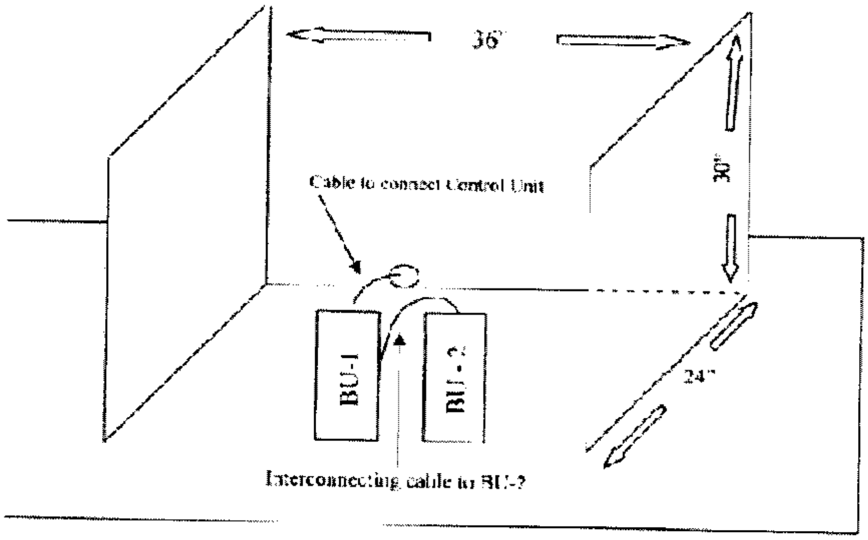

CASCADING OF TWO BALLOT UNITS

Annexure-1 Cont..2

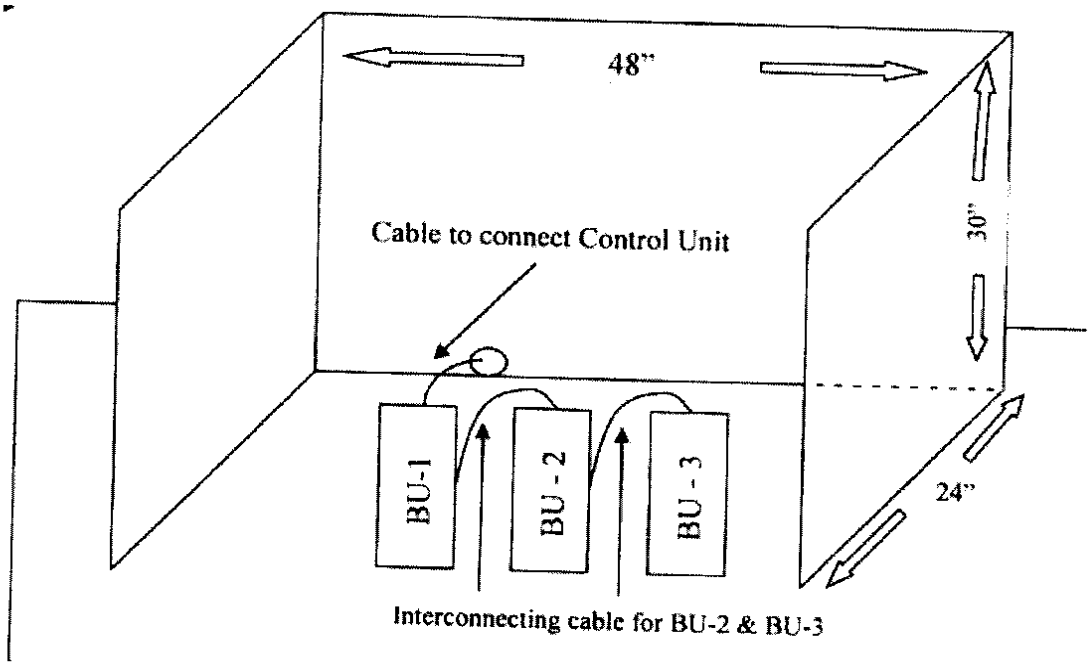

CASCADING OF THREE BALLOTING UNITS

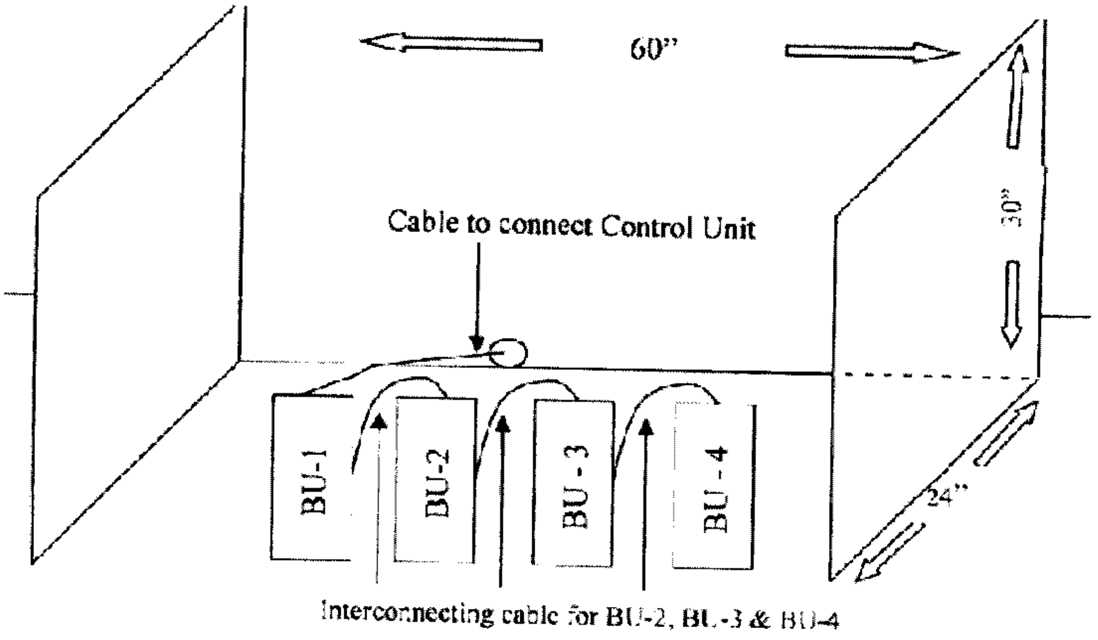

CASCADING OF FOUR BALLOTING UNITS